परियोजना का नाम :— केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान अनुसंधान केन्द्र, पन्तनगर

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम खमिया नं० 1 जवाहर नगर

तहसील- किच्छा, जिला— उधम सिंह नगर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला- उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड में उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु (115.79 हे0 आरक्षित वन भूमि, 115.79 हे0 सिविल सोयम भूमि 0 हे0 वन पंचायत भूमि 0 ———— हे0) अर्थात कुल 115.79 हे0 वन भूमि का — उपरोक्त —— विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खमिया नं०-1 द्वारा दिनांक 22.5.13 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खमिया नं० 1 जवाहर नगर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उपरोक्त प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/ [illegible] ग्राम विकास अधिकारी ग्राम सचिव [illegible] खमिया नं. 1 वि0ख0-रुद्रपुर	ह0/ ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत खमिया नं. 1 वि0ख0-रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)

नोट :— * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र--23.1

दिनांक [illegible]/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत [illegible] [illegible]

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	अनिल कुमार [illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]
3.	आनन्द सिंह [illegible]	[illegible]
4.	[illegible]	[illegible]
5.	[illegible]	[illegible]
6.	[illegible] सिंह [illegible]	[illegible] सिंह
7.	[illegible]	[illegible]
8.	[illegible]	[illegible]
9.	श्रीमती [illegible] चौधरी	[illegible]
10.	श्रीमती [illegible]	[illegible]
11.	श्रीमती [illegible]	[illegible]
12.	[illegible] सिंह [illegible]	[illegible] सिंह
13.	[illegible]	[illegible]
14.	[illegible]	[illegible]
15.	[illegible]	[illegible]
16.	[illegible]	[illegible]

प्रपत्र—23.2

(52)

परियोजना का नाम :— केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान अनुसंधान केन्द्र, पन्तनगर

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ———

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण—पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ———

उपखण्ड रुद्रपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी गौला रा0 अन्तर्गत 115.79 हे0 आरक्षित वन भूमि, शून्य हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 115.79 हे0 वन भूमि) का के0औ0स0 संस्थान, पन्तनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील किच्छा ———) की दिनांक 15/7/2013 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री तीर्थ पाल ——, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

किच्छा 15-5-13

1— श्री तीर्थ पाल उपजिलाधिकारी ——— अध्यक्ष

2— श्री नवीन चन्द्र भट्ट उप प्रभागीय वनाधिकारी—गौला तराई पूर्वी वन प्रभाग सदस्य

3— श्री मधुसूदन सहायक समाज कल्याण अधिकारी—किच्छा सदस्य/सचिव

4— श्री दिग्विजय सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र खमियाँ नं0 1 (भाद्रपुरा) सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, पन्तनगर को लीज पर दी गयी ——— परियोजना हेतु 115.79 हे0 वन भूमि

———

——— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, गौला ——— द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड रुद्रपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत केन्द्रीय संबंध पंत नगर के नवीनीकरण परियोजना के निर्माण हेतु 11.5.79 हे0 वन भूमि CIMAP प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

1/7/13

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील--..
जनपद ....

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उधम सिंह नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1/7/13

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील--..
जनपद..

[illegible]

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(गौला)
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

[illegible] अधिकारी
[illegible] सिंह नगर।

प्रपत्र--23.3

परियोजना का नाम :– केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान अनुसंधान केन्द्र, पन्तनगर

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद–उ0सिं0नगर के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित उपरोक्त परियोजना द निर्माण हेतु 1.5479 हे0 वन भूमि .... प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेत उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति .... तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिका अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण म किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना व निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ह0/–
जिलाधिकारी

जिलाधिकारी
ऊधम सिंह नगर

नोट :–वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत वॉछित समस्त सूचनायें प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।